

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए (1)2/2019-68709-712

शिमला-09

07/11/2020

शुद्धि पत्र

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2019-59535-567 दिनांक 15.09.2020 में, उपायुक्त कुल्लू की सिफारिश के अनुरूप आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना के कम सं० 20 के कोष्ठ सं० 6 में कम सं० 14 पर दर्ज ग्राम बटाला का लोप किया जाता है तथा उसे कोष्ठ संख्या 5 में ग्राम सभा करणा-1 के ग्रामों में सम्मिलित किया जाता है।

आदेश द्वारा

सचिव(पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला-09

07/11/2020

पृष्ठांकन संख्या:- 68709-712

- प्रतिलिपि: 1. उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू हि० प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू हि० प्र० को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला कुल्लू हि० प्र० को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत, जिला कुल्लू हि० प्र० को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित(वर्तमान तथा नवगठित ग्राम सभा के रिकार्ड हेतु)।

संयुक्त सचिव(पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।